



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 113-2017/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, JUNE 30, 2017 (ASADHA 8, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 जून, 2017

संख्या 34/एसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 10 की उपधारा (1) के परंतुक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और परिषद् की सिफारिशों पर, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, विहित करते हैं कि ऐसा कोई पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त पचहत्तर लाख रुपए से अधिक नहीं है, उसके द्वारा भुगतानयोग्य राज्य कर के बदले में, निम्नलिखित दर पर संगणित राशि का भुगतान करने का विकल्प ले सकेगा,—

- (i) किसी विनिर्माता के मामले में राज्य में आवर्त का एक प्रतिशत ;
- (ii) उक्त अधिनियम की अनुसूची II के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रदाय करने में लगे हुए व्यक्तियों के मामलों में राज्य में आवर्त का ढाई प्रतिशत ; और
- (iii) अन्य प्रदायकर्ताओं के मामले में राज्य में आवर्त का आधा प्रतिशत :

परंतु पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त, निम्नलिखित किन्हीं राज्यों में, उक्त अधिनियम की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत, पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के मामले में पचास लाख रुपए होगा, अर्थात् :-

- (i) अरुणाचल प्रदेश,
- (ii) असम,
- (iii) मणिपुर,
- (iv) मेघालय,
- (v) मिजोरम,
- (vi) नागालैंड,
- (vii) सिक्किम,
- (viii) त्रिपुरा,
- (ix) हिमाचल प्रदेश :

परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन प्रशामन उद्ग्रहण के लिए विकल्प लेने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे माल का विनिर्माता है, जिसका वर्णन नीचे सारणी के खाना (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सारणी के खाना (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय, जैसी भी स्थिति हों, के अंतर्गत आता है :-

सारणी

| क्रम संख्या | टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय | वर्णन |
|-------------|------------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | 2105 00 00 | आइसक्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, चाहे उसमें कोका मिला है या नहीं |
| 2. | 2106 90 20 | पान मसाला |
| 3. | 24 | सभी माल, अर्थात् तम्बाकू और विनिर्मित तम्बाकू अनुकल्प |

व्याख्या.—

- (1) इस सारणी में, ‘टैरिफ मद’, ‘उपशीर्ष’, ‘शीर्ष’ और ‘अध्याय’ से अभिप्राय है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय।
 - (2) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची, जिसमें प्रथम अनुसूची के अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी शामिल हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।
2. यह अधिसूचना जुलाई, 2017 के प्रथम दिन से लागू होगी।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE & TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 30th June, 2017

No. 34/ST-2.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Sub-section (1) of Section 10 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby prescribes that an eligible registered person, whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed seventy five lakh rupees, may opt to pay, in lieu of the State tax payable by him, an amount calculated at the rate of,—

- (i) one percent of the turnover in State in case of a manufacturer,
- (ii) two and a half percent of the turnover in State in case of persons engaged in making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II of the said Act, and
- (iii) half percent of the turnover in State in case of other suppliers:

Provided that the aggregate turnover in the preceding financial year shall be fifty lakh rupees in the case of an eligible registered person, registered under section 25 of the said Act, in any following States, namely: -

- (i) Arunachal Pradesh,
- (ii) Assam,
- (iii) Manipur,
- (iv) Meghalaya,
- (v) Mizoram,
- (vi) Nagaland,
- (vii) Sikkim,
- (viii) Tripura,
- (ix) Himachal Pradesh:

Provided further that the registered person shall not be eligible to opt for composition levy under sub-section (1) of section 10 of the said Act if such person is a manufacturer of the goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below and falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table:-

TABLE

| S. No. | Tariff item, sub-heading, heading or Chapter | Description |
|--------|--|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | 2105 00 00 | Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa. |
| 2. | 2106 90 20 | Pan masala |
| 3. | 24 | All goods, i.e. Tobacco and manufactured tobacco substitutes |

Explanation.—

- (1) In this Table, “tariff item”, “sub-heading”, “heading” and “chapter” shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).
 - (2) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.
2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise & Taxation Department.